


नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए


हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज


नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

10-616 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत
कैम्प होकसी पर पेश हुई। वादी अशोक कुमार
तथा प्रतिवादी कैलाश जलधारी, लीलाराम उप
हैं। पक्षकारों ने राजीनामा इस आशय का
पेश किया है कि दावे में भूमि खण्ड नं० 1067
रकबा 0.02 है 0 गैंगु-चाट की भूमि है जिसका
विभाजन नहीं हो सकता है तथा भूमि की खातेदारी
वादीगण के नाम दि० 1/2 व प्रति० नं० 4, 5, 6 के
नाम दि० 1/2 दर्ज है। दोनों पक्षों की इस भूमि
का सीमाज्ञान तहसीलदारजी से करवा कर दोनों
पक्षों को सीमा चिन्हों से अलग करवा दिया
जावे। दोनों पक्ष अपने 1/2 - 1/2 हिस्से पर पावें
रहे। इसी आधार पर वादीगण अपना दावा
वापिस ले रहे हैं, दावा वापिस लेने की
अनुमति दी जावे। दावा वापिस लेने हेतु वादी
अशोक ने अपने भाई अवधेश से सहमति
ले ली है।

प्रस्तुत राजीनामे का अवलोकन
किया गया। राजीनामा स्वीकार किया जाकर
राजीनामा अनुसार वाद निर्णित किया जाता है।
पचा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसल
शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बादतकमील
दारखिल इफतर हो।


(सतीश कुमार शर्मा)
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापूर सिटी


(रवि कुमार शर्मा)
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापूर सिटी


(मुनिश यादव)
अध्यापक
लोक अदालत
गंगापूर सिटी
सर्व
उप जिला कलेक्टर
गंगापूर सिटी



कैलाश





898 2905
31-5-16

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) टोकसी

पीठासीन अधिकारी:- मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

1. अशोक कुमार पुत्र श्री भीमसिंह मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
2. अवधेश कुमार पुत्र भीमसिंह मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी

—वादीगण

बनाम

1. जलधारी पुत्र नाथ्या मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
2. लीलाराम पुत्र जलधारी मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
3. बनयसिंह पुत्र जलधारी मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
4. कैलाश पुत्र तेजराम मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
5. लोहडे पुत्र तेजराम मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
6. गुलबाई बेबा तेजराम मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
7. लम्ब होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. -16/2016

वादी की ओर से वादी अशोक व प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी कैलाश की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 10.6.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार भूमि ख0नं0 1067 गै0मु0चाह की उत्तरदायी वादीगण के तथा प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6 के नाम हिस्सा 1/2 - 1/2 दर्ज है। इसका विभाजन नहीं हो सकता है इसलिए दोनों पक्षों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के 1/2 1/2 हिस्से में मजाहमत नहीं करेंगे। तहसीलदार गंगापुर सिटी को आदेश दिया जाता है कि वह उक्त भूमि का सीमाज्ञान पक्षकारों को करा देवे। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 10.6.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. _____ रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- डीवाली

Shyam Lal

राजीनामा प्रपत्र

दिनांक 10/6/16

पीठासीन अधिकारी महादय,
श्री. डीवाली

अशोक कुमार वर्मा
16/16

जलधारी वर्मा
188 A.T Act

अशोक कुमार वर्मा

प्रतिवादी प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री अशोक कुमार वर्मा का प्रकरण आपके न्यायालय में लब्धित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो गई है कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लब्धित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो गई है। हम पक्षकारों के बीच सुलह अच्छे हो चुके हैं।

प्रतिवादी प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री अशोक कुमार वर्मा का प्रकरण आपके न्यायालय में लब्धित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो गई है कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लब्धित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह अच्छे हो चुके हैं।

अशोक (अशोक)

प्रतिवादी पक्ष 1.

2. जलधारी (जलधारी)

3. श्री. डीवाली (पीठासीन अधिकारी)

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर Shyam Lal
(प्रतिवादी पक्ष) नाम श्री. डीवाली

प्रार्थी/वादी अशोक कुमार
नाम अशोक कुमार

इस सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामों की इबारत को सुन व समझ कर सही होना सुनिश्चित किया गया। अतः राजीनामा हस्तख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल निसल रहे।

सतीश कुमार ब्रामा
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

रवि कुमार ब्रामा
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

मुनिद्वयाद्व
अध्यापक
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
गंगापुर सिटी
श्री. डीवाली

10/11/16

जिला कलेक्टर
गंगापूर सिटी

प्रपत्र-1

न्यायालय उप खंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापूर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

आवेदन पत्र

कैम्प कोर्ट का स्थान शिवगढ

नम्बर मुकदमा..... 16/16

उनवान मुकदमा.....
अशोक कुमार चौधरी

बनाम

जलधारी चौधरी

3/17

विषय : लोक अदालत की भावना से प्रकरण में राजीनामा
करने हेतु।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी उक्त प्रकरण में वादी/प्रार्थी/
अपीलार्थी/ प्रतिवादी/प्रत्यर्थी/रेस्पोंडेन्ट है तथा उक्त प्रकरण में लोक
अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा/समझौता करना चाहता
है।

अतः कृपया उक्त प्रकरण अनुसारतः निस्तारित करने की कृपा करे।

प्रार्थी

स्थान..... शिवगढ

दिनांक..... 10/11/16

अशोक कुमार चौधरी

कलकत्ता

(5)

अशोक